



Neutral Citation No. - 2026: AHC:129220

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 21671 वर्ष 2026

आशीष कुमार.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजेश मौर्य

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता, जो श्री राजेश मौर्य, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से संक्षिप्त निर्देश (होलिडिंग ब्रीफ) पर उपस्थित हैं तथा राज्य की ओर से श्री विजय बहादुर मौर्य, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र विचारण के लंबित रहने के दौरान वाद अपराध संख्या 125 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धाराएँ 3(4), 115(2), 352, 351(3), 124(1), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यद्यपि अभियोजन के आरोप के अनुसार आवेदक ने उबलता हुआ पानी डालकर घायल वीरेन्द्र सोनकर को जलने की चोट पहुँचाई है, तथापि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य हैं।
4. उन्होंने आगे निवेदन किया कि वास्तविकता यह है कि आवेदक एक विवाह समारोह में गया था तथा उसी समारोह में उसकी घायल वीरेन्द्र सोनकर से कहासुनी हो गई। तत्पश्चात दोनों के बीच हाथापाई (धक्का-मुक्की) हुई, जिसके दौरान उबलते हुए पानी के कारण घायल को जलने की चोट लगी। चूँकि घायल को 82% जलने की चोटें आईं, इसलिए आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे निवेदन किया कि यह ऐसा मामला है जिसमें आवेदक को भी उबलते हुए पानी के कारण जलने की चोटें आई हैं और यह तथ्य उसकी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है, जिसे वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किया गया है। यह तथ्य बचाव पक्ष के इस कथन का समर्थन करता है कि दुर्घटनावश आवेदक एवं घायल वीरेन्द्र, दोनों को जलने की चोटें आई थीं।

6. उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 21.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि घायल वीरेन्द्र सोनकर के कथन के अनुसार आवेदक ने उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डालकर उसे जलने की चोट पहुँचाई है तथा घायल वीरेन्द्र की चिकित्सीय रिपोर्ट से परिलक्षित होता है कि उसे 82% जलने की चोटें आई हैं। तथापि, वह इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि कथित घटना में आवेदक को भी जलने की चोटें आई थीं तथा उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार उसे भी 22% जलने की चोटें आई हैं। वह इस तथ्य का भी खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

9. यद्यपि अभियोजन के अनुसार आवेदक ने घायल वीरेन्द्र सोनकर को उबलते हुए पानी से जलने की चोट पहुँचाई, तथापि अभिलेख से परिलक्षित होता है कि कथित घटना में आवेदक को भी उबलते हुए पानी से जलने की चोटें आई तथा उसे भी 22% जलने की चोटें आई हैं। आवेदक की चिकित्सीय रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि आवेदक एवं घायल वीरेन्द्र के मध्य हाथापाई के दौरान दोनों को जलने की चोटें आईं, इस स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

10. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 21.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

11. इसके अतिरिक्त, विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जब तक किसी अभियुक्त का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है तथा जमानत प्रार्थना-पत्र को न तो दण्डात्मक उद्देश्य से और न ही निवारक उद्देश्य से निरस्त किया जाना चाहिए।



12. अतः, उपर्युक्त विवेचित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

13. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

14. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **आशीष कुमार** को उपर्युक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समराशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से विधिवत् छूट प्रदान न कर दी जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

15. यदि उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 25 जून, 2026

शहरोज़